राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 12246/2022

1. मोती सिंह पुत्र हनुमान सिंह, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी महाराजपुरा वर्तमान में वार्ड संख्या 4 पी.डब्ल्यू.डी गेस्ट हाउस नावा जिला नागौर के पास रहते हैं।

(वर्तमान में जिले जेल नागौर में आवासित है।)

2. हनुमानराम पुत्र किशनाराम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी तिवाड़ी थाना। मथानिया जिला जोधपुर वर्तमान में वार्ड संख्या 4 पी.डब्ल्यू.डी. गेस्ट हाउस नावा जिला नागौर के पास निवास करता हूँ।

(वर्तमान में जिले में आवासित है। जेल नागौर)

3. फिरोज खान पुत्र भंवरू खान, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 10 शुभास कॉलोनी नवा जिला- नागौर।

(वर्तमान में जिले जेल नागौर में आवासित है।)

4. हारून मोहम्मद पुत्र गफूर खान, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी गोराच चौक जिला- नागौर।

(वर्तमान में जिले जेल नागौर में आवासित है।)

5. कुलदीप सिंह पुत्र रतन सिंह, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी पवेरा थाना। निज़ामपुर जिला. वर्तमान में महेंद्रगढ़, नापला रोड, निज़ामपुर जिले महेंद्रगढ़ हरियाणा में रहते हैं।

(वर्तमान में जिले जेल नागौर में आवासित है।)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री आनंद पुरोहित, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पंकज गुप्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री श्रवण कुमार, पी.पी. श्री आर.एस. शिकायतकर्ता के लिए चौधरी

माननीय न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>22/02/2023</u>

वर्तमान विविध जमानत अर्जी धारा 439 सीआरपीसी के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन पी.एस. नवा शहर, जिला नागौर में दर्ज एफआईआर संख्या 102/2022 के संबंध में दायर की गई है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 427, 302, 120 बी और 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए है।

शिकायतकर्ता ने पी.एस. नवा शहर, जिला नागौर में एफआईआर संख्या 102/2022 दर्ज कराई जो आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 427, 302, 120 बी आईपीसी और 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध के संबंध में है। 14.05.2022 कोदायर एफ.आई.आर. के अनुसार, शिकायतकर्ता के पति, जयपाल पूनिया (मृतक) ने उसे सूचित किया कि वह दोपहर 12:30 बजे अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए अदालत जाएंगे। शिकायतकर्ता को अपराह्न लगभग 03:15 बजे, राजेंद्र कुमार (मृतक के भाई) के मोबाइल फोन से एक फोन आया, जिस पर मृतक ने फोन पर अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि लगभग 02:00-02:15 बजे, अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के बादजब वह न्यायालय से लौट रहा था तो एक बोलेरो कार अचानक उनकी कार के सामने रुकी, जिसमें से मूलचंद सैनी और गुडा साल्ट (सरपंच) वीरेंद्र सैनी सहित दो नकाबपोश लोग बाहर निकले। उन्होंने जयपाल (मृतक) से कहा कि वे उसे सबक सिखाने आए हैं क्योंकि उसने मोती सिंह और विधायक महेंद्र चौधरी से दुश्मनी मोल ले ली है। इस पर उन्होंने लाठियां बरसाकर उनकी कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी और उन पर गोलियां चलाईं। शिकायतकर्ता को कॉल पर बताया गया कि उसके पति जयपाल (मृतक) को नावा अस्पताल ने जयपुर रेफर कर दिया है। मृतक को राजेंद्र, राधेश्याम और ओम प्रकाश जयपुर ले गए थे। अपराह्न लगभग 04:00 बजे, शिकायतकर्ता को अपराधियों द्वारा चलाई गई गोलियों के कारण उसके पति की मृत्यु की सूचना मिली।

एफआईआर के अनुसार, मृतक को पूर्व में विधायक महेंद्र चौधरी के भाई मोती सिंह से जान से मारने की धमकी मिली थी, जिन्होंने एक बार 2-3 गुंडों के साथ उनके घर में घुसकर मृतक पर हमला किया था; इस मामले की सुनवाई लंबित है।

पीएस नवा शहर, जिला नागौर में एफआईआर संख्या 102/2022 दर्ज करने के बाद, जांच एजेंसी ने वर्तमान याचिकाकर्ताओं को 18.05.2022 को धारा 147, 148, 149, 341, 427, 302, 120 ख आईपीसी और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किया।

शिकायतकर्ता (मृतक की पत्नी) ने पीएस नवाशहर, जिला नागौर में एफआईआर संख्या 102/2022 दर्ज करने के बाद आशंका जताई कि चूंकि मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना और अन्य बाहरी कारणों के कारण, पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है। इस प्रकार, **एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 3399/2022 (सरिता चौधरी बनाम राजस्थान सरकार)** को उन्होंने इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के समक्ष दायर किया था, जिसमें जांच एजेंसी को न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ एकलपीठ ने आपराधिक विविध (या.) संख्या 3399/2022 (सरिता चौधरी बनाम राजस्थान सरकार), दिनांक 01.06.2022 के आदेश के तहत, प्रत्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया:-

> "याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता मृतक की पत्नी है और यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला है। उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप की भी आशंका है.
>
> प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करें।
>
> याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने नियमित रूप से उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रत्यर्थियों की सेवा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
>
> 27.06.2022 को सूची।
>
> इस बीच, इस मामले में कोर्ट की अनुमति के बिना चालान दाखिल नहीं किया जाएगा।"

जबकि एकलपीठ आपराधिक विविध (या.) संख्या 3399/2022 (सरिता चौधरी बनाम राजस्थान राज्य) इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष लंबित था, लोक अभियोजक द्वारा एक आवेदन (आईए संख्या 3/2022) दायर किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ यह बताया गया था कि 9 आरोपियों के मामले में जांच पूरी हो चुकी है और चालान दाखिल करने के लिए तैयार है, इसलिए, जांच एजेंसी को शेष आरोपियों के लिए इसे लंबित रखते हुए सक्षम दंड न्यायालय के समक्ष चालान दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है।

इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने उपर्युक्त आवेदन (आईए संख्या 3/2022) पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, दिनांक 23.08.2022 के आदेश के माध्यम से एकलपीठआपराधिक विविध (या.) संख्या 3399/2022 (सरिता चौधरी बनाम राजस्थान सरकार) में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 01.06.2022 को संशोधित किया। दिनांक 23.08.2022 का आदेश तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "1. राज्य ने वर्तमान आवेदन दायर कर 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर करने की अनुमति मांगी है, जिन्हें याचिकाकर्ता के पति की हत्या के अपराध में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया है।
>
> 2. विशेष लोक अभियोजक श्री संदीप शाह का कहना है कि 9 आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और आरोप-पत्र अदालत में दाखिल करने के लिए तैयार है।
>
> 3. यह सूचित करते हुए कि दो व्यक्ति कृष्ण कुमार जाट और राजेश लिडारिया फरार हैं और वाहन (बोलेरो) जो अपराध के उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया था, अभी तक बरामद नहीं हुआ है, वह प्रार्थना करते हैं कि शेष आरोपियों के लिए इसे लंबित रखते हुए आरोप-पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाए।
>
> 4. उनका कहना है कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने जमानत पर रिहाई के लिए अपनी प्रार्थना पर जोर देते हुए प्रार्थना की है कि उन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत का लाभ दिया जाए, क्योंकि निर्धारित अवधि के भीतर आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है। तकनीकी आधार पर रिहाई की आशंका के

चलते, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं कि जांच अधिकारी को आरोप-पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाए, अन्यथा इस तथ्य के मद्देनजर आरोपी व्यक्तियों को डिफ़ॉल्ट जमानत दी जाएगी कि आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है।

5. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांक 01.06.2022 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने निर्देश दिया था कि न्यायालय की अनुमति के बिना चालान दायर नहीं किया जाएगा।

6. इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि आरोपी व्यक्ति इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकते कि आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है, क्योंकि अंतरिम आदेश के माध्यम से, जांच अधिकारी को आरोप-पत्र दाखिल करने से रोक दिया गया था।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने और संबंधित सामग्री के अवलोकन के बाद, यह अदालत जांच अधिकारी को अब तक दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करने की अनुमति देती है।

8. आवेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री चौधरी ने तर्क दिया कि स्थानीय विधायक-प्रत्यर्थीसंख्या9 की संलिप्तता के कारण पुलिस उचित और निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है।

10. 10. 26.07.2022 को, इस न्यायालय ने जांच अधिकारी को मुख्य आरोपी मोती सिंह, जो प्रत्यर्थीसंख्या9 का भाई है, द्वारा रखे गए अन्य फोन के स्थान सहित कॉल विवरण प्राप्त करने का निर्देश जारी किया था।

11. इस तरह के विवरण के साथ केस डायरी अदालत के समक्ष पेश की गई है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान, श्री शाह ने सूचित किया है कि जांच अधिकारी ने प्रत्यर्थीसंख्या9 से पूछताछ की है और ऐसा कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है या रिकॉर्ड पर नहीं आया है जिससे उन्हें कथित अपराधों में

फंसाया जा सके।

13. पूछताछ नोट सहित केस डायरी के अवलोकन पर, इस न्यायालय को अब तक प्रत्यर्थीसंख्या9 की प्रत्यक्ष संलिप्तता की ओर इशारा करने वाला कोई सबूत या आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं मिला है।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री चौधरी प्रार्थना करते हैं और उन्हें अपने निर्देशों को पूरा करने और मामले में प्रत्यर्थीसंख्या9 की सक्रिय या निष्क्रिय भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी सामग्री/सबूत को रिकॉर्ड पर लाने या उजागर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।

15. "प्रार्थना के अनुसार इस मामले को 13.09.2022 को सूचीबद्ध करें।''

दिनांक 01.06.2022 के अंतरिम आदेश को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 23.08.2022 के आदेश के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिससे जांच अधिकारी को अब तक दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ चालान/चार्ज-शीट दाखिल करने की अनुमति मिल गई।

इस स्तर पर, यह नोट करना उचित होगा कि सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवा शहर की अदालत के समक्ष 16.08.2022 को एक आवेदन दायर किया जिसमें इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग की गई थी कि वे 90 दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए हिरासत में हैं और अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है और निर्धारित अवधि में चालान दाखिल नहीं किया गया है।अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवा शहर की अदालत ने दिनांक 24.08.2022 के आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न आधारों पर जमानत की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अपर सत्र न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला नागौर की अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया। हालाँकि, पक्षों को सुनने के बाद, अपर सत्र न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला नागौर की अदालत ने दिनांक 25.08.2022 के आदेश के

तहत याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

जांच एजेंसी ने 26.08.2022 को सक्षम दंड न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ चालान/चार्ज-शीट दायर की।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर वर्तमान आवेदन पर बहस करते हुए दलील दी कि सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफॉल्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवा शहर की अदालत के समक्ष दायर किया गया था, लेकिन इसे 24.08.2022 को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद धारा 439 सीआरपीसी के तहत अपर सत्र न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला नागौर की अदालत के समक्ष दायर की गई थी नियमित जमानत याचिका दायर की गई।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर. संख्या 102/2022 के संबंध में जमानत की मांग करते हुए। अपर सत्र न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला नागौर की अदालत से सीआरपीसी की धारा 439 के तहत याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.08.2022 के आदेश की वैधता को चुनौती नहीं दी थी, इसलिए सी.आर.पी.सी. की धारा 439 के तहत नियमित जमानत आवेदन पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवा शहर की अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2022 से प्रभावित हुए बिना निर्णय लिया जाना चाहिए था।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है; चालान पहले ही दाखिल किया जा चुका है; विचारण में काफी लंबा समय लगने की संभावना है; इसलिए, याचिकाकर्ता जमानत के पात्र हैं।

विकल्प में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप-पत्र/चालान उनकी गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिन पूरे होने के बाद दायर किया गया था, इसलिए, वे सी.आर.पी.सी. की धारा 167(2) के प्रावधानों के मद्देनजर जमानत पर रिहा होने के पात्र हैं। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बेशक, वर्तमान याचिकाकर्ताओं को एकलपीठसी.आर.एल. विविध (या.) संख्या 3399/2022 में प्रत्यर्थी के रूप में शामिल नहीं किया गया था इसलिए, मामले में अदालत की अनुमति के बिना जांच एजेंसी को चालान दाखिल करने से रोकने के लिए समन्वय पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 01.06.2022 को उनके हितों के खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता है। एम. रवीन्द्रन बनाम राजस्व खुफिया निदेशालय के खुफिया अधिकारी ने 2021 (2)

एससीसी 485, सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य में रिपोर्ट दी। 2022 एआईआर (एससी) 3386 में प्रकाशित, जिगर @ जिमी प्रवीणचंद्र अदातिया बनाम गुजरात सरकार 2022 एआईआर (एससी) 4641, में प्रकाशित एस. काशी बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक समयनल्लूर पुलिस स्टेशन के माध्यम से मदुरै जिले ने 2020 एआईआर (एससी) 2921, में प्रकाशित अचपाल @ रामस्वरूप एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार 2018 एआईआर (एससी) 4647 में रिपोर्ट किया गया और फखरे आलम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2021 एआईआर एससी (सप्लीमेंट्री) 821 में प्रकाशित मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया।

यह तर्क दिया गया कि चूंकि अपर सत्र न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला नागौर की अदालत को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवा शहर की अदालत पर पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्राप्त है, इसलिए, पर्याप्त न्याय प्रदान करने के लिए, अदालत द्वारा दिनांक 25.08.2022 कोअपर सत्र न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला नागौर के द्वारा पारितआदेश को पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश के रूप में माना जा सकता है और सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर वर्तमान जमानत आवेदन को दिनांक 25.08.2022 के आदेश के खिलाफ एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के रूप में माना जा सकता है और उस उद्देश्य के लिए, याचिकाकर्ताओं ने पहले ही वर्तमान जमानत आवेदन में एक आवेदन (आईए संख्या 1/22) दायर कर दिया है।

इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया कि दिनांक 25.08.2022 का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला नागौर की अदालत द्वारा अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है जिसके लिए याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारकिया गया और अन्य सामग्री उसके सामने रखी गई। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया मामले में वर्तमान याचिकाकर्ताओं की संलिप्तता को दर्शाते हैं।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने एकलपीठ आपराधिक विविध (या.) संख्या 3399/2022 के दिनांक 01.06.2022 के आदेश के तहत ने जांच एजेंसी को अदालत की अनुमति के बिना मामले में चालान दाखिल करने से रोक दिया था। उपरोक्त स्थिति के मध्यनजर, 9 अभियुक्तों की जांच पूरी होने के बावजूद, निर्धारित अवधि के भीतर चालान/चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समन्वय पीठ ने एकलपीठ आपराधिक विविध (पेट) संख्या 3399/2022 में आई.ए. क्रमांक 3/2022 का निर्णय लेते समय, इस तथ्य से अवगत थी कि दिनांक 01.06.2022 के अंतरिम आदेश के मद्देनजर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ चालान दायर नहीं किया जा सकता था और इसलिए, जांच अधिकारी को दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ चालान/चार्ज-शीट दाखिल करने की अनुमति दी गई थी, ने स्पष्ट रूप से देखा कि आरोपी व्यक्ति इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकते हैं कि निर्धारित अवधि के भीतर चालान/चार्ज-शीट दायर नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता सीआरपीसी की धारा 439 के तहत नियमित जमानत के पात्र नहीं हैं और न ही वे सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के पात्र हैं।

शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता-श्री रामअवतार सिंह ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर वर्तमान जमानत आवेदन को अपर सत्र न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला नागौर के आदेश दिनांक 25.08.2022 के खिलाफ डिफ़ॉल्ट जमानत के प्रयोजन के लिए एक पुनरीक्षण याचिका के रूप में मानने के लिए आवेदन (आईए संख्या 1/2022) दिया गया था इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार नहीं की जा सकती कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला नागौर ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवा जिला नागौर की अदालत द्वारा दिनांक 24.08.2022 को पारित आदेश की जांच नहीं की थी, जिसमें अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए सीआरपीसी की धारा 167(2)(क)(झ) के तहत आवेदन खारिज किया गया था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, एक पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लेते समय, इस न्यायालय को विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की वैधता और सत्यता की जांच करने की आवश्यकता होती है, जबकि जमानत आवेदन पर सुनवाई करते समय, यह न्यायालय विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश के साथ सह-विस्तारित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है इसलिए, आदेश की वैधता और सत्यता की जांच किए बिना, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जमानत देते या खारिज करते समय एक अलग दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। इन दलीलों के आधार पर, विद्वान अधिवक्ता ने अदालत से प्रस्तुत जमानत आवेदन में दायर आई.ए.क्रमांक 01/2022 को खारिज करने का अनुरोध किया।

भंवर सिंह बनाम राजस्थान सरकार(एकलपीठ आपराधिक विविध II जमानत

आवेदन संख्या 7695/2021) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया था, जिसका निर्णय 12.07.2021 को हुआ था।

अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने पारदर्शी रूप से इस न्यायालय का रुख नहीं किया है और वर्तमान जमानत आवेदन के निर्णय के लिए आवश्यक भौतिक तथ्यों को छुपाया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान जमानत आवेदन के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावा, जिला नागौर की अदालत के समक्ष सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत दूसरी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे आदेश दिनांक 02.09.2022 के द्वारा खारिज कर दिया गया है। दिनांक 02.09.2022 के आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, अपर सत्र न्यायाधीश, मकराना, जिला नागौर, जिसके पास अपर सत्र न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला नागौर की अदालत का अतिरिक्त प्रभार है, की अदालत के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 24/2022 दायर की गई थी। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 24/2022 में न केवल दिनांक 02.09.2022 के आदेश की वैधानिकता एवं औचित्य को चुनौती दी गई थी, बल्कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावा की अदालत द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 24.08.2022 की वैधता को भी चुनौती दी गई थी। चुनौती दी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 24/2022 को अपर सत्र न्यायाधीश, मकराना, जिला नागौर (जिनके पास अपर सत्र न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला नागौर की अदालत का अतिरिक्त प्रभार है) की अदालत ने दिनांक 15.09.2022 के आदेश के तहत खारिज कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत निचली अदालतों द्वारा दिनांक 02.09.2022 और 15.09.2022 के आदेशों के द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत की अस्वीकृति के संबंध में तथ्ययाचिकाकर्ताओं द्वारा इसका खुलासा किया जाना चाहिए था, जबकि दिनांक 02.09.2022 और 15.09.2022 के आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने के उपाय के रूप में वर्तमान जमानत आवेदन याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत याचिका सीआरपीसी की धारा 439 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित आधारों पर दायर की गई है:-

क. "वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं को झूठा फंसाया गया है।

ख. इस मामले में आरोप-पत्र90 दिनों की अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया था।

ग. याचिकाकर्ताओं को दिनांक 17 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि आरोप-पत्र 24 अगस्त 2022 को नहीं था, जो कि 90 दिनों की अवधि के बाद है, इसलिए याचिकाकर्ता की जमानत याचिका की अनुमति दी जाएगी।

घ. आवेदक द्वारा फरार होने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई आरोप नहीं है।

ङ. याचिकाकर्ता गिरफ्तारी की तारीख से अभी भी हिरासत में हैं। मामले के विचार में काफी वक्त लगेगा।

च. कि अब आवेदक के कहने पर कुछ भी पुनर्प्राप्त करने के लिए शेष नहीं है।

छ. कि याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों, यदि कोई हो, का पालन करने के लिए तैयार हैं।

ज. याचिकाकर्ता जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं करेगा और पूरे मुकदमे के दौरान उपस्थित रहेगा

झ. याचिकाकर्ता सुनवाई के समय जिन अतिरिक्त आधारों पर आग्रह किया जा सकता है, उन्हें संदर्भित करने और उन पर भरोसा करने के लिए अनुमति चाहता है।

उन आधारों के अवलोकन से जिन पर सीआरपीसी की धारा 439 तहत जमानत आवेदन दायर किया गया है, इससे पता चलेगा कि जमानत मुख्य रूप से सीआरपीसी की धारा 167(2) में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर मांगी गई है।

निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में, एकलपीठ में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध (या.) संख्या 3399/2022 (सरिता चौधरी बनाम राजस्थान सरकार) में दिनांक 01.06.2022 को एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए जांच एजेंसी को नवाशहर पुलिस स्टेशन, जिला नागौर में दायर एफ.आई.आर. संख्या 102/2022 के संबंध में इस न्यायालय की अनुमति के बिना चालान दाखिल करने से रोक दिया। इस प्रकार, चालान/चार्जशीट जिसे 90 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना आवश्यक था, जिसे जांच एजेंसी द्वारा दाखिल नहीं किया जा सका। यह भी विवाद में नहीं है कि

एकलपीठआपराधिक विविध (या.) संख्या 3399/2022, में एक आवेदन (आई.ए. नं.3/2022) सरकार द्वारा दायर की गई जिसमें 9 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ चालान/चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांगी गई, जिन्हें एफ.आई.आर. संख्या 102/2022 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, को समन्वय पीठ ने दिनांक 23.08.2022 के आदेश के तहत अनुमति दी।

इस न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद, जांच अधिकारी ने 26.08.2022 को सक्षम दंड न्यायालय के समक्ष चालान/चार्ज-शीट दायर की। इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 01.06.2022 के अंतरिम आदेश को पढ़ने से पता चलेगा कि इस न्यायालय ने जांच एजेंसी को इस मामले में अर्थात एफआईआर संख्या 102/2022 से उत्पन्न मामले में चालान दाखिल करने से रोक दिया था। दिनांक 01.06.2022 के अंतरिम आदेश को संशोधित करते समय, यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि कुछ सह-अभियुक्त व्यक्ति स्थिति का लाभ उठा सकते हैं, इस प्रकार इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.08.2022 के पैरा 6 में स्पष्ट किया कि आरोपी व्यक्ति इस तथ्य का लाभ नहीं ले सकते कि चालान/चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 23.08.2022 का आदेश चुनौती रहित रहा और इस प्रकार अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है।

इस न्यायालय की सुविचारित राय में, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि वे एकलपीठ आपराधिक विविध (पीईटी) संख्या 3399/2022, में पक्षकार नहीं थे, इसलिए अंतरिम आदेश दिनांक 01.06.2022 और आदेश दिनांक 23.08.2022 उन पर लागू नहीं है, दिनांक 01.06.2022 के आदेश के अनुसार कोई फायदा नहीं है, इस की समन्वय पीठ कोर्ट ने जांच एजेंसी को कोर्ट की अनुमति के बिना **'इस मामले में'** चालान दाखिल करने से रोक दिया। दिनांक 01.06.2022 के आदेशों में प्रयुक्त शब्दावली यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इस न्यायालय की अनुमति के बिना जांच एजेंसी द्वारा किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप दायर नहीं किया जा सकता था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, समन्वय पीठ ने अपने आदेश दिनांक 23.08.2022 में जांच एजेंसी को चालान/चार्ज-शीट दाखिल करने की अनुमति देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि **'आरोपी व्यक्ति इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकते हैं कि आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है।'**

लैटिन कहावत 'एक्टस क्यूरीए नेमिनेम ग्रेवाबिट' अर्थात न्यायालय का कार्य किसी पर

प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, सर्वविदित है। उपरोक्त कहावत को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर, इस अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकते हैं कि उनके खिलाफ आरोप-पत्र दायर करने की 90 दिनों की अवधि समाप्त हो गई थी और इसलिए, वे जमानत पर छूट पाने के पात्र हैं।

यह देखना पर्याप्त है कि वर्तमान मामले के तथ्य और स्थिति याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत मामलों से भिन्न हैं और इसलिए, वे सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत जमानत/डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए वर्तमान मामले में आवेदन नहीं करते हैं।

वर्तमान Crl.MB में दायर आवेदन (I.A. No. 1/2022) संख्या 12246/2022 वर्तमान आपराधिक विविध जमानत आवेदन को आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के रूप में मानने के लिए कानून की नजर में अस्थिर है क्योंकि दिनांक 25.08.2022 को लगाया गया आदेश सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला नागौर की अदालत द्वारा पारित किया गया था, जो इस न्यायालय के साथ सह-विस्तारित है। दिनांक 25.08.2022 का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला नागौर की अदालत को उपलब्ध पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित नहीं किया गया था ताकि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावा, जिला नागौर की अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2022 की वैधता और सत्यता की जांच की जा सके। आई.ए. अतः क्रमांक 1/2022 अस्वीकार किया जाता है।

आदेश से अलग होने से पहले, यह न्यायालय यह देखने के लिए बाध्य है कि याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय में पारदर्शी रूप से संपर्क नहीं किया है और उन्होंने वर्तमान मामले के निर्णय के लिए आवश्यक भौतिक तथ्यों को छिपाकर इस न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की है। यह देखा गया है कि वर्तमान जमानत आवेदन के लंबित रहने के दौरान, सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत दूसरा डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन दायर किया गया था, जिसेअपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावा, जिला नागौर की अदालत के समक्ष दिनांक 02.09.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 24/2022 को चुनौती देने वाले आदेश दिनांक 02.09.2022 को पुनरीक्षण न्यायालय ने आदेश दिनांक 15.09.2022 के माध्यम से खारिज कर दिया था। इन आदेशों को आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर करके इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती थी। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं ने न केवल इस न्यायालय से इन आदेशों को

छुपाया बल्कि इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान जमानत आवेदन को आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में परिवर्तित किया जा सकता है ताकि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत अर्जी पर निर्णय लेते समय वे अपर सत्र न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2022 को चुनौती देने में सक्षम हो सकें।

न्यायालयिक में दी गई दलीलों पर गहन विचार करने और एफ.आई.आर. और चालान कागजातदेखने के बाद,याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, मैं याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने का इच्छुक नहीं हूं।

तदनुसार, धारा 439 के तहत जमानत के लिए मौजूदा आवेदन खारिज किया जाता है।

(कुलदीप माथुर), न्यायमूर्ति

Prashant/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।